पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक का कार्यालय,
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
भारत गणतंत्र के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
तथा
दि यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस,
यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स
के मध्य
द्विपक्षीय सहयोग पर
समझौता-ज्ञापन

एक पक्ष के तौर पर महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत गणतंत्र के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा दूसरे पक्ष के तौर पर, दि यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के बीच,

जिन्हें यहां इसके बाद भागीदार कहा जाएगा;

निम्नलिखित बातों पर विचार करते हुए:

- एक सक्रिय बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था उपलब्ध कराकर नवप्रयोग, रचनात्मकता और प्रौद्योगिकीय उन्नति को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास और सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की यात्रा के समय 2 मार्च, 2006 को भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया गया संयुक्त वक्तव्य; और
- बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण एवं उन्हें बढ़ावा देने में और अधिक सहयोग के लाभ; और
- प्रथम समझौता ज्ञापन के दौरान किए गए सफल सहयोग को जारी रखने की दोनों भागीदारों की इच्छा;

निम्नलिखित समझौते पर पहुंचे हैं :-

अनुच्छेद 1
उद्देश्य

इस विस्तारित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकार क्षेत्र में दोनों संस्थाओं की जिम्मेवारियों के अनुसार, दोनों भागीदारों के बीच सहयोग की पुनःपुष्टि करना एवं उसे आगे बढाना है।

अनुच्छेद 2
सहयोग के क्षेत्र

भागीदारों की मंशा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बौद्धिक संपदा कार्यालयों का, उनके उद्योग, अनुसंधान और नागरिकों के लाभों के लिए सशक्तिकरण में सहयोग देना है।

इस प्रयोजन के लिए भागीदारों की मंशा बौद्धिक संपदा में क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास और जन जागरूकता के क्षेत्र में आपसी विश्वास, सम्मान और साझा मूल्यों के आधार पर एक संबंध विकसित करना है।

अनुच्छेद 3
क्षमता निर्माण

ये भागीदार अन्य बातों के साथ-साथ पेटेंट डेटा संबंधी जानकारी, पेटेंट और व्यापार चिन्ह जांच प्रक्रिया, में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, के आदान-प्रदान के जरिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षमता निर्माण में मिलकर काम करेंगी, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बौद्धिक संपदा कार्यालयों का आटोमेशन और आधुनिकीकरण, डेटा बेस का विकास और बौद्धिक संपदा आवेदनों का प्रक्रियात्मक योक्तीकरण एवं प्रसंस्करण का सरलीकरण शामिल हैं।

अनुच्छेद 4
मानव संसाधन विकास

दोनों भागीदार, दोनों देशों में बौद्धिक संपदा तंत्रों के कार्यकरण को सशक्त बनाने की दृष्टि से, जिनमें पेटेंट और व्यापार चिन्ह जांच प्रशिक्षण शामिल है, बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास में सहयोग करेंगे।

अनुच्छेद 5
जन जागरूकता कार्यक्रम

दोनों भागीदार बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में जन जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रमों को मिलकर आयोजित करेंगे। इसमें शामिल होंगे संबंद्व पक्षों तथा सामान्य जनता के लिए, जिनमें निवेशक, वैज्ञानिक, पेशेवर, और बौद्धिक संपदा प्रबंधक शामिल हैं, सेमिनारों, सिम्पोजियम और कार्यशालाओं का संयुक्त आयोजन, ताकि बौद्धिक संपदा के प्रति एक संवेदनशील समाज का निर्माण किया जा सके।

लघु और मझौले उद्यमों (एसएमई) को संवेदीकरण कार्यक्रमों में विशेष स्थान दिए जाने की आशा है।

अनुच्छेद 6
वार्षिक कार्य योजना

दोनों भागीदार एक वार्षिक कार्यवाही योजना तैयार करेंगे और जिसमें हर वर्ष कार्यान्वित किए जाने वाले विशिष्ट सहयोग कार्यकलाप निर्धारित किए जाएंगे।

वार्षिक कार्ययोजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे-

क. बौद्धिक संपदा कार्यालय के कर्मचारियों, बौद्धिक संपदा प्रबंधकों बौद्धिक संपदा पेशेवरों और बौद्धिक संपदा नीति निर्माताओं, सरकारी वकीलों और बौद्धिक संपदा प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण में अमेरिका और भारत के बीच अनुभवों का आदान-प्रदान।

ख. इस प्रकार के प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त माड्यूल और पाठ्यक्रम तैयार करना।

ग. दोनों देशों के बौद्धिक संपदा संस्थानों के बीच नियमित अकादमिक आदान-प्रदान हेतु निरंतर संस्थागत सहयोग विकसित करना।

घ. बौद्धिक संपदा कार्यालयों के आटोमोशन, बौद्धिक संपदा डेटाबेस के विकास और पेटेंट, व्यापार चिन्ह, डिजाइनों, भौगोलिक सूचकों, आदि की जांच, विरोध और सुधार/निरसन प्रक्रियाओं हेतु जानकारी एवं सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान।

ड. छात्रों, उद्योगपतियों और नागरिक समाज में बौद्धिक संपदा के संबंध में जागरूता प्रसार हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान।

च. अधिकार धारकों और उपभोक्ताओं के बीच संमाव्य चिंताओं के समाधान हेतु संस्थागत प्रणालियों के संबंध में जानकारी का आदान-प्रदान।

छ. विशिष्ट बौद्धिक संपदा मुद्दों पर संयुक्त कार्यकलाप।

ज. पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के क्षेत्र में अनुभव का आदान-प्रदान।

झ. क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रशिक्षण तथा आर्थिक विकास की रणनीतियों के संबंध में अनुभव का आदान-प्रदान

ञ. पेटेंट सहयोग संधि के तहत, एक दक्ष और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण/अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक जांच प्राधिकरण (आईएसए/आईपीईए) के प्रशासन में सूचना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान।

ट. मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत, एक दक्ष और प्रभावी व्यापार चिन्ह फाइलिंग और मुकदमा प्रणाली के प्रशासन में सूचना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान।

प्रत्येक वार्षिक योजना में सहयोग के कार्यकलापों को चलाने हेतु योजनाएं शामिल होनी चाहिएं, जैसे कि कार्य का दायरा, संसाधनों का प्रशासन एवं निर्दिष्टीकरण, कुल लागतें और उनका वितरण, तथा समय-सारणी।

यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वार्षिक कार्यवाही योजना में, इस समझौता ज्ञापन के तहत विनिर्दिष्ट किए गए सभी क्षेत्रों के सहयोग कार्यकलाप शामिल किए जाएं।

अनुच्छेद 7
निगरानी प्रणाली

वार्षिक योजनांए तैयार करने, उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने और दोनों भागीदारों के लिए तथा किसी भी रुचि के विषय पर विचारों के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए एक संयुक्त परामर्शदायी प्रणाली (जेसीएम) स्थापित की जाएगी।

जेसीएम की बैठक साल में कम से कम एक बार होनी चाहिए ताकि वार्षिक कार्यवाही योजना को अनुमोदन दिया जा सके और चलाए गए सहयोग कार्यकलापों की निगरानी की जा सके और उनका मूल्यांकन किया जा सके। इसे किसी भी भागीदार द्वारा औपचारिक अनुरोध किए जाने पर भी मिलना चाहिए, बशर्ते दूसरा भागीदार सहमत हो।

अनुच्छेद 8
निधि पोषण

प्रत्येक कार्यकलाप का कार्यान्वयन, संबंधित भागीदारों के वार्षिक बजटों में अपेक्षित निधियों की उपलब्धता की शर्तो के अधीन होगा।

अनुच्छेद 9
आरंभ

यह समझौता ज्ञापन, इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के अगले दिन से प्रभावी होने के लिए आशयित है।

अनुच्छेद 10
समापन

इस समझौता ज्ञापन के तहत दो वर्ष की अवधि के लिए सहयोग किए जाने का विचार है और पक्षों की आपसी सहमति की शर्त के अध्यधीन इसका नवीकरण किया जा सकता है।

कोई भी भागीदार कभी भी इस समझौता ज्ञापन के तहत अपनी भागीदारी को समाप्त कर सकता है, लेकिन उसे दूसरे भागीदार को कम से कम 90 कैलेंडर दिवसों का लिखित नोटिस देने का प्रयास करना चाहिए।

इस एमओयू को समय से पहले समाप्त करने के कारण ऐसे किसी जारी सहयोग के कार्य पर प्रभाव नहीं होना चाहिए, जिन पर वार्षिक कार्य कार्यक्रमों के तहत सहमति हुई थी।

अंग्रेजी भाषा में दो मूल प्रतियों पर वाशिंगटन, डीसी में 23 नवंबर, 2009 को हस्ताक्षरित।

कृते महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह का कार्यालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

हस्ता./————
अजय शंकर
सचिव, औ.नी. एवं सं. विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

कृते यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, यू.एस.डिपार्टमेंट ऑफ कामर्स

हस्ता./————
डेविड जे कपोस
अंडर सेक्रेटरी ऑफ कामर्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी एंड डायरेक्टर ऑफ दि यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस